न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सांलुखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
श्री अचल सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपुत, निवासी आवलीफली मुदरला, तहसील देलदर व अन्य – 3 (श्री शरदपाल सिंह , अधिवक्ता वादीगण)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,91,92 ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 13/2022

दिनांक 19/06/2024

–: निर्णय :–

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मौजा ग्राम मुदरला, तहसील देलदर में वादीगण के कब्जे काश्त व गैर खातेदारी की खसरा संख्या 735/304 कुल रकबा 10 बिस्वा अर्थात 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि माफिक जमाबंदी अनुसार स्थित है। यह कि वर्णित खसरा संख्या 735/304 रकबा 10 बिस्वा अर्थात 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादीगण की माता शांति पत्नि सरदार सिंह का भौतिक कब्जा काश्त था, जिस कारण पुराने कब्जे के आधार पर उक्त कृषि भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 138 दिनांक 16.09.1978 को जमाबंदी संवत 2034 से 2037 के अनुसार वादीगण की माता शांति पत्नि सरदार सिंह के नाम आवंटित कर राजस्व रेकर्ड में उनका नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया था। यह कि वादीगण की माता शांति के स्वर्गवास के पश्चात खसरा संख्या 735/304 रकबा 10 बिस्वा अर्थात 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में नामान्तकरण संख्या 1609 दिनांक 05.08.2020 को वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदार अंतिम रूप से दर्ज हुआ। यह आवंटन अनुसार एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीगण एडमिटेड़ खातेदार कृषक बन चुके है एवं सतत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आवंटित खसरा संख्या 735/304 की 10 बिस्वा अर्थात 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। अतः उक्त खसरा संख्या 735/304 कुल रकबा 10 बिस्वा अर्थात 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गैर खातेदार के स्थान पर वादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

हमने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी करें। तहसीलदार देलदर ने जरिये पत्रांक/विधि/2023/381 दिनांक 12.04.2023 द्वारा जवाब पेश कर जवाब में अंकन किया कि ग्राम मुदरला की कृषि भूमि खसरा संख्या 735/304 रकबा 0.1264 हैक्टेयर किस्म नहरी – 1 अचलसिंह, अर्जुनसिंह , उम्मेदसिंह पि. सरदार सिंह व इंद्राकुंवर, भंवरीकुंवर पुत्रीयान सरदार सिंह के नाम दर्ज गैर खातेदारी दर्ज है। यह कि आवंटन उपरान्त अमल दरामद (गैरखातेदार) के प्रथम तीन वर्षो की गिरदावरी संवत 2035 से 2042 में फसल आदि का अंकन नही है, तदनुसार रिकॉर्डेड कब्जा मु. शांति पत्नी सरदार सिंह राजपूत का साबित नही होने से खातेदारी अधिकार देना [illegible] है। तहसीलदार देलदर ने जरिये पत्रांक/विधि/2024/326 दिनांक 11.06.2024 द्वारा [illegible] इस न्यायालय में पेश किया जवाब में अंकन किया कि पटवारी हल्का [illegible] द्वारा [illegible] रिपोर्ट अनुसार ग्राम मुदरला की उक्त कृषि भूमि पर गैर खातेदारान [illegible] किया है एवं [illegible] एक बोरिंग किया हुआ है जिससे उक्त भूमि सिंचित की जा[illegible] है। मौके पर वर्त[illegible] कब्जा काश्त गैर खातेदारान का ही है। लेकिन आवंटन उपरान्त अमल दरामद (गैरखातेदार) के प्रथम तीन वर्षो की गिरदावरी संवत 2035 से 2042 में फसल आदि का अंकन नही है, तदनुसार रिकॉर्डेड कब्जा मु. शांति पत्नी सरदार सिंह राजपूत का साबित नही होने से खातेदारी अधिकार देना उचित प्रतीत नही होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.06.19 14:14:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष बहस सुनी । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं लिये गये बयानों का गहनता से अवलोकन कर निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–

1. आया मौजा ग्राम मुदरला , तहसील देलदर में खसरा संख्या 735/304 कुल रकबा 10 बिस्वा अर्थात 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गैर खातेदार के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदार दर्ज करने की डिक्री ?

   यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादीगण पर था। मौजा ग्राम मुदरला, तहसील देलदर में वादीगण के गैर खातेदारी की खसरा संख्या 735/304 कुल रकबा 10 बिस्वा अर्थात 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। लेकिन आवंटन उपरान्त अमल दरामद (गैरखातेदार) के प्रथम तीन वर्षो की गिरदावरी संवत 2035 से 2042 में फसल आदि का अंकन नही है। तद्नुसार रिकॉर्डेड कब्जा मु. शांति पत्नी सरदार सिंह राजपूत का साबित नही होने से खातेदारी अधिकार देना उचित प्रतीत नही होता है अतः यह वाद बिन्दु वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

   यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादीगण पर था। मौजा ग्राम मुदरला, तहसील देलदर में वादीगण के गैर खातेदारी की खसरा संख्या 735/304 कुल रकबा 10 बिस्वा अर्थात 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। लेकिन आवंटन उपरान्त अमल दरामद (गैरखातेदार) के प्रथम तीन वर्षो की गिरदावरी संवत 2035 से 2042 में फसल आदि का अंकन नही है। तद्नुसार रिकॉर्डेड कब्जा मु. शांति पत्नी सरदार सिंह राजपूत का साबित नही होने से खातेदारी अधिकार देना उचित प्रतीत नही होता है । चूंकि स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त का अधिकारी खातेदार काश्तकार होता है। अतः यह वाद बिन्दु भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. आया मौजा ग्राम मुदरला की कृषि भूमि खसरा संख्या 735/304 रकबा 0.1264 है. किस्म नहरी – 1 अचलसिंह, अर्जुनसिंह, उम्मेदसिंह, पि. सरदार सिंह व इंद्राकुंवर, भंवरीकुंवर पुत्रीयान सरदार सिंह के नाम दर्ज गैर खातेदारी दर्ज है, आवंटन उपरांत अमल दरामद (गैर खातेदार) के प्रथग तीन वर्षो में संलग्न गिरदावरी संवत् 2035 से 2042 में फसल आदि का अंकन नहीं है, तद्नुसार रिकॉर्डेड कब्जा मु. शांति पत्नी सरदार सिंह राजपूत का साबित नही होने से खातेदारी अधिकारी देना उचित प्रतीत नहीं होता है ?

   यह वाद बिन्दु साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चूंकि मौजा ग्राम मुदरला की कृषि भूमि खसरा संख्या 735/304 रकबा 0.1264 है. किस्म नहरी – 1 अचलसिंह, अर्जुनसिंह, उम्मेदसिंह, पि. सरदार सिंह व इंद्राकुंवर, भंवरीकुंवर पुत्रीयान सरदार सिंह के नाम दर्ज गैर खातेदारी दर्ज है, आवंटन उपरांत अमल दरामद (गैर खातेदार) के प्रथम तीन वर्षो में संलग्न गिरदावरी संवत् 2035 से 2042 में फसल आदि का अंकन नहीं है।

   " THE RAJASTHAN LAND REVENUE RULES, 1970 के बिन्दु संख्या 14 (3) में अंकन है कि आवंटी को आवंटन के पहले वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भूमि पर खेती करनी होगी और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में खेती करनी होगी।

   बशर्ते कि इस अवधि को तहसीलदार द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है यदि अप्रत्याशित कारणों से जिस पर आवंटी का को[illegible] नहीं था वह निर्धारित अवधि के भीतर भूमि पर खेती करने में[illegible]

   किन्तु आवंटन उपरांत अमल दरामद (गैर खातेदार) के प्रथम तीन वर्षो में संलग्न गिरदावरी संवत् 2035 से 2042 में फसल आदि [illegible] अंकन नहीं है अतः तद्नुसार रिकॉर्डेड कब्जा मु. शांति पत्नी सरदार सिंह राजपूत का साबित नही होने से खातेदारी अधिकार देना उचित प्रतीत नही होता है।

   अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के हक में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.06.19 14:14:08 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 से 2 वादीगण के विरुद्ध निर्णित की गई है तथा वाद बिन्दु संख्या 3 प्रतिवादी के हक में निर्णित किये गये है। ग्राम मुदरला की कृषि भूमि खसरा संख्या 735/304 रकबा 0.1204 हैक्टेयर किस्म नहरी – 1 अचलसिंह, अर्जुनसिंह , उम्मेदसिंह पि. सरदार सिंह व इंद्राकुंवर, गंवरीकुंवर पुत्रीयान सरदार सिंह के नाम दर्ज गैर खातेदारी दर्ज है लेकिन आवंटन उपरान्त अमल दरामद (गैरखातेदार) के प्रथम तीन वर्षो की गिरदावरी संवत 2035 से 2042 में फराल आदि का अंकन नही है, तद्नुसार रिकॉर्डेड कब्जा मु. शांति पत्नी सरदार सिंह राजपूत का साबित नही होने से खातेदारी अधिकार देना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का यह वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/06/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.06.19 14:14:08 IST
Reason: SelfAttested